संख्या-989/वि0अनु-5/व्या0कर/2002

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
व्यापार कर अधिकरण,
उत्तरांचल, देहरादून ।

वित्त अनुभाग-5 देहरादून::दिनांक 7 मार्च 2002

विषयः- अध्यक्ष, व्यापार कर अधिकरण कार्यालय को स्टाफ कार हेतु ड्राइवर के पद का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-व्या0क0अधि0/अधिष्ठान/01/494 दिनांक 11-12-2001 एवं पत्र संख्या-व्या0क0अधि0/अधिष्ठान/81/02 दिनांक 19-2-02 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संप्रति व्यापार कर अधिकरण का ढाँचा अभी स्वीकृत नहीं किया जा सका है, तथापि शासन स्तर से स्टाफ कार क्रय करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। स्टाफ कार के समुचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए ड्राइवर के एक अस्थायी पद वेतनमान रू0 3050-4590 के सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2- प्रश्नगत पद के अस्थायी सृजन का यह निर्णय व्यापार कर अधिकरण के संगठनात्मक ढाँचे के मा0मंत्रिपरिषद के स्तर से अनुमोदन के प्रतिबन्ध के अधीन होगा, साथ ही यह पद यदि इससे पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, तो 28 फरवरी, 2003 तक के लिए सृजित माना जायेगा ।

3- ड्राइवर के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पादित किये जाने तक आपके स्तर से दैनिक वेतन पर जो ड्राइवर तैनात किया गया है, उसके कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही की जा रही है।

इस पद के सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय सुसंगत अधिष्ठान मद से वहन किया जायेगा ।

भवदीय,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।

संख्या-989(1)/विअनु-5/व्या0कर/2002 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव

संख्या– 613 / XXVII(5) / व्या0कर / 2004

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
व्यापार कर अधिकरण,
उत्तरांचल, देहरादून।

407
20/11/05

वित्त अनुभाग–5 देहरादून::दिनांक:: 20 नवम्बर, 2004

विषयः– व्यापार कर अधिकरण, उत्तरांचल के लिये अतिरिक्त पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यापार कर अधिकरण,उत्तरांचल के विभागीय ढ़ॉचे में देहरादून तथा हल्द्वानी पीठों हेतु निम्नांकित सारणी के अनुरूप कुल 07(सात) अस्थायी अतिरिक्त पदों के सृजन की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति दिनांक 28–02–2005 तक श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान (रूपये)	अतिरिक्त पदों का सृजन / स्थान
1–	कार्यालय अधीक्षक (अध्यक्ष, व्यापार कर अधिकरण कार्यालय हेतु)	5000–8000	01 देहरादून पीठ
2–	वैयक्तिक सहायक	6500–10500	02(1,हल्द्वानी पीठ +1 देहरादून पीठ)
3–	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	01 (देहरादून पीठ)
4–	कनिष्ठ लिपिक / कम्प्यूटर सहायक	3050–4590	01(देहरादून पीठ)
5–	ड्राइवर	3050–4590	01(हल्द्वानी पीठ)
6–	चपरासी	2550–3200	01(हल्द्वानी पीठ)
	योग		07

O.S
Sen K.O.R
27/11/04

अध्यक्ष, व्यापार-कर अधिकरण उत्तरांचल, देहरादून

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक 2040–बिक्री व्यापार आदि पर कर,001–निदेशन एवं प्रशासन,04–व्यापार कर प्राधिकरण का अधिष्ठान,01–वेतन, 03–महगाई भत्ता,06–अन्य भत्ते के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

20/11/2004
(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।

संख्या– 70 /2009/102(100)/XXVII(8)/08

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादून::दिनांक: 25 फरवरी,2009

विषयः–वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सृजित अस्थाई पदों को स्थायी घोषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक–वा0क0अधि0/अधिष्ठान/416/2008,दिनांक 17–12–2008 में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7,उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या –118/XXVII(7)/2006,दि0 31–8–2006 के दृष्टिगत वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार विभिन्न शासनादेशों द्वारा समय–समय पर सृजित अस्थायी पदों को एतदद्वारा स्थायी घोषित किया जाता है।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक 2040–बिकी व्यापार आदि पर कर 001–निदेशन एवं प्रशासन,04–वाणिज्य कर प्राधिकरण का अधिष्ठान के सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त

Seen

भवदीय,
24/2/2009
(एल0एम0पन्त)
सचिव।

संख्या– (1)/2009/102(100)/XXVII(8)/08,तद्दिनांक:

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
2–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून/हल्द्वानी।
3–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–70/2009/102(100)/XXVII(8)/08,दिनांक 25 फरवरी,2009 द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तराखण्ड में दिनांक 25-02-2009 से स्थायी किये गये पदों का विवरण:–

क0 सं0	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या व दिनांक जिससे पद मूल रूप में सृजित हुआ है।	शासनादेश व दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थाईकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्व स्वीकृत किया था।	अभ्युक्ति
1	कार चालक	2	5200–20200 (पूर्व वेतनमान 3050–4590)	989/वि0अनु–5/व्या0क0/02,दि0 7–3–02 तथा 613/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 20–11–2004	46/XXVII(8)/वाणि0क0/व्या0क0/08 दि0 26–02–2008 द्वारा दिनांक 28–02–09 तक	एक–एक पद देहरादून व हल्द्वानी पीठ हेतु।
2	अनुसेवक	1	4440–7440 (पूर्व वेतनमान 2550–3200)	613/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 20–11–2004	——उक्त——	हल्द्वानी पीठ हेतु।
3	कनिष्ठ लिपिक	1	5200–20200 (पूर्व वेतनमान 3050–4590)	613/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 20–11–2004	——उक्त——	देहरादून पीठ हेतु।
4	प्रवर सहायक	1	5200–20200 (पूर्व वेतनमान 4000–6000)	613/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 20–11–2004	——उक्त——	देहरादून पीठ हेतु।
5	प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2	1	9300–34800 (पूर्व वेतनमान 5000–8000)	613/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 20–11–2004	——उक्त——	देहरादून पीठ हेतु।
6	वैयक्तिक सहायक	2	9300–34800 (पूर्व वेतनमान 6500–10500)	613/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 20–11–2004 तथा 1493/XXVII(5)/वि0अनु0–5/व्या0क0/04 दि0 6–12–2004	——उक्त——	एक–एक पद देहरादून व हल्द्वानी पीठ हेतु। 2–पूर्व में उ0प्र0 से प्राप्त वैयक्तिक सहायकों के वेतनमान 5500–9000 को उच्चीकृत किया

24/2/2009

(एल0एम0पन्त)
सचिव,वित्त।